(f) whether any representation from these employees have been received by Government so far;

(g) if so, what are the details thereof and what action has been taken by Government thereon;

(h) whether it is a fact that annual turnover in this market (Mandi) amounts to crores of rupees and as much is the profit earned by it every year; and

(i) if so, what are the details thereof for the last three years and what is the total amount of expenditure incurred during the above period?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI RAMANAND YADAV): (a) to (d) As intimated by the Delhi Administration, at present there is no resentment among daily wage and regular employees of the Agricultural Produce Market Committee, Azadpur, Delhi. However, earlier there was some resentment among daily wage employees mainly for regularisation of their services. The daily wage employees were on strike from 17.11.1986 to 20.11.1986. The Agricultural Produce Market Committee (Service) Regulation, 1978 have since been suitably amended. The Delhi Agricultural Marketing Board will now consider eligible daily wage employees for regularisation subject to availability of vacancies and fulfilment of other requirements of the rules.

(e) As reported by the Delhi Administration, no specific complaint has been received.

(f) and (g) A representation from the Daily Wagers Union has been received by the Administrator, Agricultural Produce Market Committee, Azadpur, and the demands made are being considered in accordance with the Agricultural Produce Market Committee Service) Regulation, 1978 and other relevant instructions on the subject.

(h) and (i) A statement indicating the income and expenditure of the Agricultural Produce Market Committee, Azadpur, Delhi, during the last three years is enclosed.

Statement

Income and expenditure of the Agricultural Produce Market Committee, Azadpur, Delhi during the years 1983-84, 1984-85 *and* 1985-86

(Rs. lakhs)

Year	Income	Expenditure
1983-84	383.00	136.70
1984-85	424.32	179.76
1985-86	502.27	274.16

दिल्ली में अवैध निर्माण

3355. **श्री राम सिंह भाई पातलीयाभाई राठवा :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दिल्ली में सरकारी तथा अर्ध सरकारी भूमि पर बड़े पैमाने पर मकानों झुग्गियों तथा दुकानों का अवैध निर्माण हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अवैध निर्माण को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाये गये हैं ;

(ग) 1-1-86 से 30-9-1986 के दौरान दिल्ली तथा अन्य राज्यों में कितने अवैध निर्माण हटाये गये और ऐसे अप्राधिकृत निर्माण में लगे व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या सरकार का ध्यान 10 नवम्बर, 1986 के हिन्दी दैनिक "हिन्दुस्तान" में "तिब्बियां कालेज परिसर से परिवार बेदखल" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) दिल्ली में फिलहाल बृहत पैमाने पर चल रही इस तरह की अनधिकृत गतिविधियों के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण पर नियंत्रण करने के निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(i) सभी संबंधितों को यह निर्देश जारी किया गया था कि सार्वजनिक सम्पत्ति पर अतिक्रमण को प्रारंभ में ही रोका जाना चाहिए तथा इसे स्थाई बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब कि उन्हें हटाना कठिन हो जाता है।

(ii) अनधिकृत निर्माण तथा अतिक्रमण को संज्ञय अपराध घोषित करने और सिविल न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर दिल्ली में मकान गिराने के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई हेतु अपिलीय अधिकरण (अपीलेट ट्रिब्यूनल) की व्यवस्था करने के लिये दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957, पंजाब नगरपालिका अधिनियम 1911 (जैसा कि नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में लागू है (तथा लोक परिसर) अनधिकृत दखलकारों की बेदखली, अधिनियम, 1971 में मई, 1984 में यह संशोधन किया गया था। इनको संज्ञेय अपराध घोषित करने संबंधित प्रावधान को गत वर्ष लागू किया गया था। अपिलीय अधिकार के गठन से संबंधित प्रावधान को भी अब लागू कर दिया गया है। (दिल्ली नगर निगम अधिनियम तथा पंजाब नगर पालिका अधिनियम के संबंध में 10-2-86 से और दिल्ली विकास अधिनियम के संबंध में 24-2-86 से)।

(iii) गृह मंत्री ने 18-6-85 को एक बैठक आयोजित की थी जिसमें अनधिकृत निर्माण की रोकथाम करने के लिये मार्ग-निर्देशन निर्धारित किए गए थे। तथा संबंधित संगठनों में नितान्त उच्च स्तर पर इस प्रयोजनार्थ उत्तरदायित्व निर्धारित करने का निर्णय लिया था।

(iv) अतिक्रमण अनधिकृत निर्माण पर कार्रवाई करने के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण ने निम्नलिखित विशिष्ठ कदम उठाये हैं :—

(1) दिल्ली विकास प्राधिकरण के चलते-फिरते गिराऊ दस्ते द्वारा नये अतिक्रमणों को गिराया जा रहा है। 1-1-85 से 30-9-86 तक 173-39 अतिक्रमणों/अनधिकृत निर्माणों को हटाया गया।

(2) भूमि की गैर कानूनी बिक्री से संबंधित विशेष कक्ष ने 3233 मामले दर्ज किये और 4038 को गिरफ्तार किया गया है।

(3) दिल्ली विकास अधिनियम के संशोधित उपबन्धनों के तहत अभियोजन के लिये कार्यवाही प्रारम्भ की गई है।

(4) नये अतिक्रमणों की रोकथाम करने के लिये उप राज्यपाल द्वारा थानाध्यक्षों को अनुदेश जारी किये गये हैं।

(5) विभिन्न स्तरों पर संबंधित फील्ड स्टाफ को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाने के आदेश जारी किये गये हैं।

अन्य स्थानीय निकायों और भूमि-स्वामित्व वाले विभागों ने भी सूचित किया है वे अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत अतिक्रमणों को हटाने के लिये कार्रवाई करते हैं।

(ग) "भूमि" राज्य का विषय है और निर्माण गतिविधियां स्थानीय निकाय द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। तदनुसार, राज्यों के बारे में सूचना केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। जहां तक दिल्ली का संबंध है, दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा स्थानीय निकायों ने 1-1-86 से

30-9-86 तक निम्नलिखित मामलों में कार्यवाई की है :—

दिल्ली विकास प्राधिकरण :

11277 अनधिकृत निर्माण/अतिक्रमण हटाये गये।

नई दिल्ली नगरपालिका :

(i) गैर-सरकारी तथा सरकारी भूमि से हटाये गये अनधिकृत निर्माण—76

(ii) जिनमें मुकदमें चलाये गये—36

(iii) गिरफ्तार व्यक्ति———3

(iv) सील की गई दुकानें/मकान ———4 दुकानें और 2 मकान

दिल्ली नगर निगम :

(i) 204 मामलों में अनधिकृत निर्माण गिराये गये हैं,

(ii) दोषियों को गिरफ्तार करने के लिये 195 मामलों में पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई,

(iii) 94 सम्पत्तियों को सील किया गया।

दिल्ली छावनी बोर्ड :

हटाये गये अनधिकृत निर्माण—शून्य

(घ) जी, हां।

(ङ) आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बिया कालेज द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गैर-कानूनी तरीके से कब्जे में किये गये 21 क्वार्टरों को खाली कराया गया है। इन 21 क्वार्टरों में से, 2 क्वार्टर दिल्ली नगर निगम के, 9 क्वार्टर तिब्बिया कालिज बोर्ड के भूतपूर्व कर्मचारियों के कब्जे में और शेष 10 क्वार्टर अन्य व्यक्तियों के कब्जे में थे। प्रभावित व्यक्तियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ट्रांजिट कैम्प में वैकल्पिक वास के आवंटन के लिये सम्पर्क किया गया था परन्तु उन्होंने इसे लेने से इन्कार कर दिया था।

Allotment of Government accommodation

3336. SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what are the total number of employees working in the Prime Minister's office for more than ten/fifteen/twenty years but had not been allotted Government accommodation;

(b) what are the numbers of those out of them in each category/group who are having their own accommodation and those who are having accommodation on power of attorney basis; and

(c) whether Government propose to adopt any policy where under the employees, who neither own accommodation on ownership basis nor on power of attorney basis, can be given accommodation on priority basis?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH):

	Between 10 & 15 Years	Between 15 & 20 Years	Between 20 Years
Total number of employees	24	16	42
Number of employees not allotted/refused Govt. accommodation	9	7	7